

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री इन्द्रभूषण चौधरी, पे0-स्व0 देव ना0 चौधरी, सा0+पो0+थाना+जिला-मधेपुरा को एक दो नाली बंदूक अनुज्ञप्ति संख्या-2358/1968 प्राप्त है, जिस पर बंदूक सं0-10577 धारित है। उनके पुत्र श्री आलोक कुमार चौधरी, पे0-स्व0 इन्द्रभूषण चौधरी, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता इन्द्रभूषण चौधरी की मृत्यु दिनांक-15.06.2020 को हो चुकी है एवं उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री आलोक कुमार चौधरी द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17(6) के तहत उनके पिता इन्द्रभूषण चौधरी के नाम से निर्गत एक दो नाली बंदूक अनुज्ञप्ति संख्या-2358/1968 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21(1) के तहत धारित बंदूक सं0-10577 को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री आलोक कुमार चौधरी, पे0-स्व0 इन्द्रभूषण चौधरी को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

604

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....154/श0, मधेपुरा, दिनांक.....16/07/2020

प्रतिलिपि : श्री आलोक कुमार चौधरी, पे0-स्व0 इन्द्रभूषण चौधरी, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।